फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री भंवरसिंह **विपक्षी : श्री हरिसिंह**

किस्म मुकदमा – विविध **पत्रावली संख्या : 15/23**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 17.02.2023

पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर मूल वाद संख्या 214/12 वाद अनवान भंवरसिंह बनाम हरिसिंह में निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2023 में सोहनकुंवर बेवा रायसिंह के बजाय सोहनकुंवर बेवा रायसिंह उर्फ रामसिंह एवं आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के बजाय आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा संशोधित किया जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मूल वाद प्रकरण सं. 214/12 अनवान भंवरसिंह बनाम हरिसिंह के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2023 का अवलोकन किया। मूल पत्रावली के अवलोकन से निर्णय व डिक्री के आदेश में आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं सोहनकुंवर बेवा रायसिंह टंकण त्रुटि से आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के बजाय आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा एवं खातेदार सोहनकुंवर बेवा रायसिंह उर्फ रामसिंह के बजाय खातेदार सोहनकुंवर बेवा रायसिंह अंकित हो गया हैं जबकि जमाबन्दी एवं दस्तावेज से सोहनकुंवर बेवा रायसिंह एवं सोहनकुंवर बेवा रामसिंह व आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा है। केवल मात्र टंकण त्रुटि से उक्त गलती होना जाहिर आया है। अतः न्यायहित में उक्त त्रुटि को संशोधित किया जाना उचित हैं ताकि तकनीकी जटिलताओं को दूर कर स्पष्टीकरण हो सके। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण सं. 214/12 वाद अनवान भंवरसिंह बनाम हरिसिंह में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2023 में **खातेदार सोहनकुंवर बेवा रायसिंह के बजाय खातेदार सोहनकुंवर बेवा रायसिंह उर्फ रामसिंह एवं आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के बजाय आराजी नम्बर 493, 494 किता 2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा संशोधित किया जाने का आदेश दिया जाता हैं।** उक्त संशोधन लाल स्याही से किया जावें। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.04.17 17:56:18 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली